

हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इन्डियन जज

अहकाय जा इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

7.12
2011

पशावली वकील कार्यालय के मुलाकाद में मिश्राल नलकी
आपरेटर पर फोन टैपिंग उक्त उकाज से सम्बन्धित
मुलाकाद खारिज हो चुका है। इसलिए आपरेटर
212 स.स. का जोर आश्रित नहीं है। अतः
आपरेटर 212 स.स. को खारिज किया जा रहा है।
पशावली फैसल कुमार हेकर नम्बर से यह
हेकर दायिग्य कसूर है।

श्री आपरेटर
नहीं
चलाना चाहिए
इसका
पुष्टानुसार
[Signature]

पशावली कार्यालय के स.स. अधिकारी - 2011

राजेश कुमार मीणा
उपसुपड अधिकारी दातारामगढ़ जिला सीकर